


अधिसूचना

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 15.07.2003 व दिनांक 01.03.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम सं. 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील किराया अधिकरण, जयपुर का नाम परिवर्तित करते हुए अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम निर्धारित करती है तथा जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय को भी अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-द्वितीय के रूप में गठित करती है तथा इनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-प्रथम	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर- I न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र
2.	अपील किराया अधिकरण जयपुर महानगर-द्वितीय	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर- II न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,


(उज्ज्वल साहस)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव


क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/19/43064-81

दिनांक: 15/06/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
8. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैच जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

10. जिला कलक्टर, जयपुर।
11. जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर (प्रथम) व (द्वितीय)।
12. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, अभियोजन/वादकरण, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर राजस्थान।
17. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी